न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 49/2021(2021/107)

1. श्रीमती कन्या पत्नी श्री भोजाराम जाति माली निवासी [illegible] तहसील सावर जिला अजमेर।

–वादीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।
2. शिवनारायण पुत्र श्री शंभू जाति दरोगा निवासी पारा तहसील केकडी जिला अजमेर।

–प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– श्री सीताराम कुमावत– वकील वादीया
श्री नितिन कुमार जैन–वकील प्रतिवादी

आदेश

दिनांक– 7/6/22

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निम्न वर्णित आराजीयात ग्राम पारा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
39–182(अ)	1775	1.02	बारानी 1
776–717(ब)	4165/1775	0.64	बारानी 1

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वाद पत्र की अनूसूची अ में वर्णित आराजीयात वादिया के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चली आ रही है तथा अनुसूची–ब में वर्णित आराजीयात राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज चली आ रही है अनुसूची अ व ब मे वर्णित आराजीयात का पूर्व में एक ही रकबा होकर खसरा नंबर 1775 रकबा 1.66 हैक्टर था जिसका बाद मे विभाजन किया जाकर अलग–अलग खसरा नम्बर 1775 रकबा 1.02 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 4165/1775 रकबा 0.64 हैक्टर बना है राजस्व रिकार्ड में नक्शा तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारियाके ने सहवन एवं गलती से लापरवाही पूर्वक कार्य करते हुए खसरा नम्बर 4165/1775 रकबा 0.64 हैक्टर को मूल नक्शा ट्रेस के दक्षिणी हिस्से पर दर्शित करना था, लेकिन गलती से उक्त खसरा नम्बर 4165/1775 को मूल नक्शा ट्रेस के उतरी हिस्से मे दर्शित कर दिया। जबकि प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रारंभ से ही आराजीयात के दक्षिणी हिस्से पर काबिज चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी आराजीयात के दक्षिणी हिस्से पर ही काबिज है प्रतिववादी संख्या 2 ने उक्त आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया था।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

उक्त आराजीयात के विक्रय पत्र में भी दिशाओं का अंकन किया गया था तथा प्रतिवादी संख्या 2 उक्त विक्रय पत्र में अंकित दिशाओं के अनुसार ही मौके पर काबिज है लेकिन राजस्व अधिकारियो ने वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से को विपरीत अंकन कर दिया है वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 मौके पर नक्शा ट्रेस मे अलग–अलग जगह काबिज चले आ रहे है राजस्व कर्मचारियो की गलती एवं लापरवाही के कारण वादिया को प्रतिवादी संख्या 2 के स्थान पर व प्रतिवादी संख्या 2 को वादिया के स्थान पर राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकन कर दिया गया है जिससे नक्शे की स्थिति उलट–पुलट हो गई है जिसे दुरूस्त किया जाकर वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 वर्तमान में जिस स्थान पर काबिज है उस अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है राजस्व रिकोर्ड में मौके की स्थिति के अनुसार नक्शा ट्रेस दुरूस्त किया जाकर खसरा नम्बर 4165/1775 की जगह राजस्व रिकोर्ड में खसरा नम्बर 1775 अंकन किया जावे तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 1775 की जगह खसरा नम्बर 4165/1775 अंकन किया जाकर नक्शा दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की और से टिप्पणी अंकित कर निवेदन किया कि तहसीलदार साहब द्वारा भिजवायी गयी रिपोर्ट से एतराज नही है रिकोर्ड दुरस्त करने का निवेदन किया। पक्षकारान सहमत है उनके हस्ताक्षर करवाये गये। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तावित नक्शा दुरूस्ती रिपोर्ट अनुसार दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया। पक्षकारान की बहस सुनी गई।

तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण को सुना गया। तहसीलदार केकडी की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पारा तहसील केकडी की आराजीयात खसरा संख्या 4165/1775 रकबा 0.64हैक्टर को मूल नक्शा ट्रेस के दक्षिणी हिस्से पर दर्शित करना था लेकिन गलती से उक्त खसरा नम्बर 4165/1775 को उतर दिशा दर्शित कर दिया गया था अतः प्रार्थीया का खसरा संख्या 1775 रकबा 1.02हैक्टर की तरमीम मौके रिपोर्ट अनुसार उतर की तरफ व 4165/1775 रकबा 0.64हैक्टर की तरमीम दक्षिण की तरफ मौका रिपोर्ट मे प्रस्तावित नक्शा अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार केकडी राजस्व रिकोर्ड नक्शा ट्रेस में अमलदरामद की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner